रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 153] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 30, 2010/चैत्र 9, 1932
No. 153] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 30, 2010/CHAITRA 9, 1932

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 मार्च, 2010

सा.का.नि. 267(अ).—केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों का निम्नलिखित प्रारूप जिसे केन्द्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 110 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और उक्त अधिनियम की धारा 212 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, बनाने का प्रस्ताव करती है ; और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप नियमों पर उस तारीख से, जिसको भारत के राजपत्र में यथा प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, तीन दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् विचार किया जाएगा ;

2. ऐसे आक्षेपों या सुझावों पर, जो पूर्वोक्त अवधि की समाप्ति के पूर्व उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में किसी व्यक्ति से प्राप्त हो सकेंगे, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा ;

3. इन प्रारूप नियमों के संबंध में, आक्षेप या सुझाव, यदि कोई हों, संयुक्त सचिव (परिवहन), सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग, परिवहन भवन, संसद् मार्ग, नई दिल्ली- 110001 को भेजे जा सकेंगे ।

प्रारूप नियम

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय मोटर यान (संशोधन) नियम, 2010 है ।

(2) जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय, ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. केन्द्रीय मोटर यान नियम 1989 (जिसे इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 115 में,—

(i) उपनियम (11) के अंत में, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"परंतु इस उपनियम के लिए उत्पादन की अनुरुपता 1 अप्रैल, 2010 और 30 सितंबर, 2010 के बीच विनिर्मित यानों के लिए लागू नहीं होगी ।" ;

(ii) उपनियम (12) के अंत में, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"परंतु यह और कि इस नियम में उत्पादन की अनुरुपता, 1 अप्रैल, 2010 और 30 सितंबर, 2010 के बीच विनिर्मित यानों के लिए लागू नहीं होगी ।" ;

(iii) उपनियम (14) के खंड च में "1 अप्रैल, 2010" शब्दों और अंकों के स्थान पर "1 अक्तूबर, 2010" शब्द और अंक रखे जाएंगे ;

(iv) उपनियम (14) में खंड (छ) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :-

" (छ) 1 अक्तूबर, 2010 से ही 4 पहिये वाले यानों के संबंध में, इस उपनियम के उपबंध सिकन्दराबाद, अहमदाबाद, पुणे, सूरत, कानपुर, आगरा, सोलापुर और लखनऊ सहित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बंगलौर, हैदराबाद नगर के सिवाय सभी राज्यों को लागू होंगे ।" ;

(v) उपनियम (15) के खंड (क) में "कानपुर और आगरा" शब्दों के स्थान पर "कानपुर, आगरा, सोलापुर और लखनऊ" शब्द रखे जाएंगे ।

3. उक्त नियमों के नियम 115क के उपनियम (7) में, सारणी 1 के स्तंभ (2) में "1.4.2010" अंकों के स्थान पर जहां-जहां वे आते हैं "1.10.2010" अंक रखे जाएंगे ।

4. उक्त नियमों के नियम 124 के उपनियम (4) में, परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"परंतु यह और कि सारणी के क्रम संख्यांक 15, 16, 17, 18, 19, 20 और 21 के सामने की प्रविष्टियां 1 अप्रैल, 2010 और 30 सितंबर, 2010 के बीच विनिर्मित भारत स्टेज-II यानों के लिए लागू नहीं होंगी ।" ।

[फा. सं. आरटी-11011/11/2009-एमवीएल]
सरोज कुमार दास, संयुक्त सचिव

टिप्पण.— मूल नियम भारत के राजपत्र में सं. सा.का.नि. 590(अ), तारीख 2 जून, 1989 में अधिसूचित किए गए थे और उनमें अंतिम बार सं. सा.का.नि. 180(अ), तारीख 10 मार्च, 2010 द्वारा संशोधन किया गया ।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th March, 2010

G.S.R. 267(E).— The following draft of certain rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, which the Central Government proposes to make in exercise the powers conferred by section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), is hereby published as required by sub-section (1) of section 212 of the said Act for information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft rules will be taken into consideration after the expiry of three days from the date on which the copies of this notification as published in the Gazette of India, are made available to the public;

2. The objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the period aforesaid will be considered by the Central Government;

3. Objections and suggestions to these draft rules, if any, may be sent to the Joint Secretary (Transport), Department of Road Transport and Highways, Transport Bhawan, Parliament Street, New Delhi-110001.

DRAFT RULES

1. (1) These rules may be called the Central Motor Vehicles (Amendment) Rules, 2010.

(2) Save as otherwise provided, they shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Motor Vehicles Rules, 1989 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 115,-

(i) in sub-rule (11), the following proviso shall be inserted at the end, namely:-

"Provided that the Conformity of Production to this sub-rule shall not be applicable for the vehicles manufactured between 1st April, 2010 and 30th September, 2010.";

(ii) in sub-rule (12), the following proviso shall be inserted at the end, namely:-

"Provided further that the Conformity of Production to this sub-rule shall not be applicable for the vehicles manufactured between 1st April, 2010 and 30th September, 2010.";

(iii) in sub-rule (14), in clause F, for the word, figures and letters "1st April, 2010", the word, figures and letters "1st October, 2010" shall be substituted;

(iv) in sub-rule (14), for clause (G), the following clause shall be substituted, namely:-

"(G) The provisions of this sub-rule in respect of four-wheeled vehicles manufactured on and from the 1st October, 2010 shall apply to all the States and the Union territories except the National Capital Region and the cities of Mumbai, Kolkata, Chennai, Bangalore, Hyderabad including Secunderabad, Ahmedabad, Pune, Surat, Kanpur, Agra, Solapur and Lucknow.";

(v) in sub-rule (15), in clause (a), for the words "Kanpur and Agra", the words "Kanpur, Agra, Solapur and Lucknow" shall be substituted.

3. In the said rules, in rule 115A, in sub-rule (7), in Table 1, in column (2), for the figure "1.4.2010", wherever occurring, the figure "1.10.2010" shall be substituted.

4. In the said rules, in rule 124, in sub-rule (4), after the proviso, the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided further that the entries against the serial numbers 15, 16, 17, 18, 19, 20 and 21 in the Table shall not be applicable for Bharat Stage-II vehicles, manufactured between 1st April, 2010 and 30th September, 2010.".

[F. No. RT-11011/11/2009-MVL]

SAROJ KUMAR DASH, Jt. Secy.

Note :— The principal rules were notified in the Gazette of India *vide* number G.S.R. 590(E), dated the 2nd June, 1989 and last amended *vide* No. G.S.R. 180(E), dated the 10th March, 2010.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.